आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–08/2020–21

गंगाराम कुम्हार..आवेदक

बनाम

झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, बुण्डू..विपक्षी।

आदेश

14.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–गंगाराम कुम्हार, पिता–स्व० बुधू कुम्हार, मौजा–बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–578 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–31.05.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	335	3758	3.5

चौहदीः–उ०–मंडल दास, द०–ग्रामीण रास्ता, पू०–वैशाकी देवी, प०–विक्रेता का नीज।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार नामांतरण आवेदन में आवेदित भूमि संयुक्त खाते की भूमि होने एवं वंशावली/अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुत नहीं करने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलकर्त्ता की ओर से (1) पंचनामा–बंटवारानामा का छायाप्रति, (2) वंशावली का छायाप्रति (3) अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति समर्पित की गयी एवं अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–578 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार नामांतरण हेतु आवेदित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। वंशावली/अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है। अतएव इसी आधार पर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों यथा वंशावली/अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र का जांच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- 14/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

ह०/- 14/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।